

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2017/ 564

दिनांक : 5/9/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जोधपुर।

**विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 03.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

| क्र सं. | CMHO/PMO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है    | छात्र/छात्रा का नाम                    | निवास का पता   |
|---------|--|--|--|
| 1.      | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर | डॉ0 वगताराम देवासी पुत्र श्री डूंगाराम | ग्राम माण्डोली नगर, तहसील जसवन्तपुरा जिला जालौर(राज०)    |
| 2.      | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर | डॉ0 ओम प्रकाश पुत्र श्री जबराराम       | नेरवा चारणान तहसील तिहरी पोस्ट मौलूंगा जिला जोधपुर(राज०) |
| 3.      | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर | डॉ0 दशरथ मिर्धा पुत्र श्री.जयराम       | 2/43, हनुमान बाग कॉलोनी जिला नागौर (राज०)                |

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2017/ 564

दिनांक : 5/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।